

## आवश्यक सूचना

### मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सम्बन्धी

महाविद्यालय में सत्र 2020 – 21 में प्रवेशित स्नातक प्रथम वर्ष की छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत अपना आवेदन सम्बन्धित वेबसाइट पर सबमिट कर सकती हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने की इच्छुक छात्राओं को आवेदन से पूर्व सभी शर्तें व पात्रता ध्यानपूर्वक समझकर ही आवेदन करना है।

साथ ही इच्छुक छात्राओं को अपने आवेदन करने हेतु वांछित सूचना महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।

**कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता एवं शर्तें निम्नवत् हैं।**

- 1.** लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास **स्थायी निवास प्रमाण पत्र** हो, जिसमें राशन कार्ड / आधार / वोटर पहचान पत्र / विद्युत / टेलीफोन का बिल मान्य है।
- 2.** लाभार्थी के परिवार की **वार्षिक आय अधिकतम 03 लाख** हो।
- 3.** किसी परिवार की **अधिकतम 02 ही बेटियों** को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- 4.** लाभार्थी के परिवार का आकार (साईज) **परिवार में अधिकतम 02 बच्चे** हों।
- 5.** किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से **जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को ही लाभ अनुमन्य** होगा।
- 6.** यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुये **अधिकतम 02 बालिकायें इस योजना की लाभार्थी** होंगी।
- 7.** लाभार्थी की **माता का बैंक खाता अनिवार्य है।** (मृत्यु पर पिता का)
- 8.** बालिका की **एकल फोटो एवं उसके परिवार की संयुक्त फोटो अनिवार्य है।**
- 9.** 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर **नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ – पत्र अनिवार्य है।**

प्रतिहस्ताक्षरित  
प्राचार्य

छात्रवृत्ति प्रभारी